eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 10, October 2025

बालश्रम के कारण एवं दुष्परिणाम संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के सन्दर्भ में

विनोद कश्यप[1]
[1]अस्सिटेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महा0 गोसाईंगंज, लखनऊ

Received: 25 Oct 2025 Accepted & Reviewed: 28 Oct 2025, Published: 31 Oct 2025

Abstract

बच्चे भविष्य के नागरिक होते हैं, लेकिन वे मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। समाज में कई बच्चे गरीबी और अशिक्षा के कारण अनाथ और आवारा हो जाते हैं, जिससे बालश्रम की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। बालश्रम तब होता है जब बच्चे काम करने के लिए मजबूर होते हैं, ज्यादातर समाज की असमानता के कारण। बालश्रम के पीछे मुख्य कारण हैं: बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक संसाधनों की कमी, अशिक्षा और बेरोजगारी। गरीब परिवारों में बच्चों को काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनका बचपन भुला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को काम पर रखना आसान होता है, और सरकार तथा सामाजिक संगठनों की उदासीनता इस समस्या को और बढ़ाती है। बाल श्रमिकों को शारीरिक और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और उनका स्वास्थ्य खराब होता है। बच्चे भारी काम करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा का महत्व खत्म होता है। भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है, लेकिन कई प्रावधानों का पालन नहीं होता। बालश्रम को खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और सरकारी प्रयासों की जरुरत है। बच्चों का सही विकास देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।

मुख्य शब्द – बालश्रम, बाल मजदूरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, संवैधानिक प्रावधान।

Introduction

कहावत है कि बच्चा मनुष्य का जनक है, क्योंकि बच्चे भविष्य के नागरिक होते हैं और सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। हालाँकि, बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिसके कारण उनके बच्चे अनाथ और आवारा हो जाते हैं। इनमें से एक गंभीर समस्या बाल श्रम है, जो एक चिंताजनक स्थिति है।[प]

बालश्रम– बालश्रम का मतलब है जब छोटे बच्चे किसी कारणवश काम करने के लिए मजबूर होते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि बच्चे अपनी इच्छा से काम नहीं करते, बल्कि समाज की असमान स्थिति और बुरे सामाजिक ढांचे के कारण इस बुराई का जन्म होता है। बच्चों को कोमल मिट्टी की तरह माना गया है, जिन्हें सही देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें चाहिए कि हम बच्चों और राष्ट्र के भविष्य की रक्षा करें और बालश्रम जैसी समस्या का समाधान करें। इसके लिए जरूरी है कि हम बालश्रम के कारण और इसके दुष्परिणाम समझें, जिससे हम इसे रोकने और खत्म करने के प्रयास कर सकें।[पप]

बाल मजदूरी के कारण– बाल मजदूरी की बुरी प्रथा के पीछे कई मुख्य कारण हैं। पहले, बढ़ती जनसंख्या विशेषकर गरीब परिवारों में इस समस्या का बड़ा कारण है। जब परिवार में सदस्य अधिक होते हैं और आय कम होती है, तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बच्चों को भी अपने परिवार का भरण–पोषण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 10, October 2025

करने के लिए काम करना पड़ता है। यह बच्चों को मजबूर करता है, और उन्हें छोटे–छोटे काम करने पर मजबूर करता है।

दूसरा प्रमुख कारण है आर्थिक संपन्नता की कमी। गरीब परिवारों में बच्चों को जन्म से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास की कमी। आर्थिक कमी के कारण बच्चों का बचपन शिक्षा लेने और खेलने में नहीं बल्कि काम करने में बिता जाता है।

तीसरा कारण है अशिक्षा और बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी के कारण कई सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। अशिक्षित परिवारों में बच्चों को भी बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है, और इसलिए वे भी अपने जीवन यापन के लिए काम करने लगते हैं।

चौथा कारण है बच्चों का आसानी से श्रमिक के रूप में भर्ती होना। छोटे बच्चे बड़े कामों के लिए सक्षम नहीं होते, लेकिन उन्हें सफाई, सामान उठाने, कारखानों में आसान काम, और होटलों में बर्तन धोने जैसे कामों के लिए जल्दी रखा जाता है। बच्चों के अनुभव की कमी और लालच के कारण उन्हें काम पर रख लेना सरल होता है।

पाँचवाँ कारण सरकार और सामाजिक संगठनों की उदासीनता है। यदि ये संस्थाएँ अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएं तो बाल मजदूरी जैसी बुराइयाँ उत्पन्न नहीं होंगी। बालश्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जानकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। हालांकि बाल मजदूरी रोकने के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन की कमी के कारण बाल श्रम पर रोक नहीं लग पाती है।

इन सब कारणों से स्पष्ट है कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक बेहतरी की कमी बाल मजदूरी के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों को कई बार खतरनाक कार्यों में भी लगाया जाता है, जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।[पपप]

बाल श्रम के दुष्परिणाम– बाल श्रमिक एक शोषित समुदाय है जो लंबी अवधि तक काम करता है, दयनीय परिस्थितियों में रहता है, और कम मजदूरी प्राप्त करता है। ये बच्चे अपने बचपन को भुलाकर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को कई कठिन कामों जैसे पन्नी चुनना, भीख माँगना, और ढाबों में बर्तन धोने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चूड़ी और ईंट के कारखानों में काम करने वाले बच्चे अपंग होते हैं और कई मामलों में उनकी दृष्टि भी चली जाती है।[पअ]

बाल श्रमिकों को कई दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। पहले, वे शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जहाँ उन्हें अत्यधिक काम और भूख का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे जिनके माता–पिता नहीं होते हैं, उन्हें डराकर और बहलाकर काम पर रखा जाता है। दूसरे, कुछ बच्चों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जहाँ मालिक उनके खिलाफ अत्याचार करते हैं। गरीब अभिभावक अपने बच्चों का शोषण सहन करते हैं, जिससे बच्चे अपनी स्थिति के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते।

तीसरे, बाल श्रमिक भावनात्मक उत्पीड़न का भी सामना करते हैं। बच्चों को निरंतर डाँट–फटकार सुननी पड़ती है, जिससे वे आत्मविश्वास खो देते हैं। यह स्थिति उन्हें अपराधी बनने के लिए मजबूर कर सकती है, और कुछ बच्चे मालिक को मारकर समाज से छिपने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा, शिक्षा

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 10, October 2025

का महत्व भी बाल श्रमिकों के लिए समाप्त हो जाता है। वे असहाय माता–पिता के लिए काम करते हैं और शिक्षा को नजरअंदाज करते हैं। अगर उन्हें सही शिक्षा मिलती तो वे स्वस्थ नागरिक बनकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने में सक्षम होते।[v]

अन्य दुष्परिणाम– बच्चों का मजदूरी में लग जाना उनके भविष्य को बर्बाद कर देता है, जिससे वे अशिक्षित रह जाते हैं और जीवनभर मजदूर बनकर रहते हैं। छोटी उम्र में काम करने का बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और वे कुपोषण या गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।

अनेक बच्चे तंबाकू, बीड़ी, माचिस, आतिशबाजी, रंग–रोगन और भट्टियों पर काम करते हैं, जो कि बेहद खतरनाक हैं। ये कार्य कभी–कभी उन्हें गंभीर रूप से घायल या बीमार कर सकते हैं, जिसके कारण कई बच्चे समय से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। बाल श्रमिकों में हीनता और शोषित होने की भावना विकसित होती है। ये बच्चे दुर्घटनाओं के भी शिकार होते हैं और अपनी उम्र के कारण स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं।

बाल श्रमिकों को उचित देखभाल और संरक्षण नहीं मिलता, जिससे वे बुरी संगत में पड़कर नशे के आदी हो जाते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता है। बालश्रम का प्रभाव केवल बच्चों पर नहीं, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। देश का भविष्य उन्हीं बच्चों पर निर्भर करता है, जो आज कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। गरीबी की वजह से गरीब परिवार अपने बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बाल श्रमिकों का शोषण होता है।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान : बाल श्रम के सन्दर्भ में– बालश्रम एक गंभीर समस्या है जो लाखों बच्चों का बचपन खत्म कर रही है। यह बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। भारत के संविधान में बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका अक्सर उल्लंघन होता है। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 भी खतरनाक व्यवसायों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाता है।

बालश्रम के प्रमुख कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक असंगति, पारंपरिक व्यवसाय, औद्योगिकीकरण और व्यावसायिक शिक्षा की कमी शामिल हैं। इसके खिलाफ सरकारी प्रयासों के साथ–साथ सामाजिक संगठनों की मदद की जरूरत है। बाल शिक्षा की कमी से देश का भविष्य प्रभावित होता है।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न नियम बनाए। 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति के तहत कहा गया कि बच्चे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं और उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। न्यायालय भी बाल श्रम की समस्या की समीक्षा करते रहे हैं। संविधान निर्माताओं का सपना था कि बच्चों को सही शिक्षा मिले और उनका विकास अवरुद्ध न हो, लेकिन आज भी बालश्रम एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।[अप]

संवैधानिक प्रावधान– इस पाठ में भारत में बाल श्रम को रोकने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में दिए गए प्रावधानों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 21 का प्रमुख बिंदु यह है कि 6 से 14

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 10, October 2025

वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।[अपप] इसमें यह भी बताया गया है कि बिहार में इतने बड़े आयु वर्ग में अधिकांश बच्चे गांवों में रहते हैं और काफी संख्या में गरीब हैं, जिनकी शिक्षा तक पहुंच में समस्याएँ हैं।

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। इसका उद्देश्य बच्चों को काम करने से बचाना और उन्हें अपने बचपन का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना है।

अनुच्छेद 39(इ) यह सुनिश्चित करता है कि छोटे बच्चों को ऐसे व्यवसायों में नहीं लगाया जाए जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। यह प्रावधान न केवल बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, बल्कि उनके आर्थिक शोषण की आशंकाओं को भी कम करता है। अनुच्छेद 39(ब) में बच्चों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण तरीके से विकसित होने के अवसर देने की बात कही गई है, जिससे उनका नैतिक और भौतिक शोषण रोका जा सके।

अनुच्छेद 45 के तहत, राज्य को 10 वर्षों के भीतर 14 वर्षों के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है। इसके अनुसार, बच्चे बचपन में शिक्षा प्राप्त करें, जिससे उनकी समग्र विकास की प्रक्रिया शुरू हो सके।

बालश्रम के विरुद्ध भारत में कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, और बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, जो बाल मजदूरी को रोकने के लिए सख्त प्रावधान देते हैं। बालश्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनसे परिवारिक व्यवसायों में बच्चों को काम करने की कुछ सीमित शर्तें दी गई हैं।

सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में भर्ती करना है। इसके अलावा, भारत में कई गैर सरकारी संगठन भी बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन।

निष्कर्ष :– बालश्रम हमारे समाज और देश के लिए एक गंभीर समस्या है, जो बच्चों के स्वास्थ्य और बचपन पर बुरा असर डालती है। कारखानों में काम करने वाले बच्चे कई बीमारियों का सामना करते हैं और उनकी उम्र कम हो जाती है। गरीब परिवारों के कारण, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कठिन कार्यों के लिए मजबूर होते हैं। भारत में हर चौथा बच्चा बालश्रम के चलते शिक्षा से वंचित है, जबकि सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाई है, पर गरीबी इसे असफल कर रही है। बालश्रम को खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और सरकारी एवं व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है। बच्चों का सही विकास देश के भविष्य के लिए जरूरी है।

संदर्भ सूची–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 10, October 2025

[i] अहमद इफ्तकार, गेटिंग राइड ऑफ चाइल्ड लेबर, इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल विकली, वॉल्यूम 24, नं0 1, 27, 1991, पृ0–38।

[ii] छिल्लर, सुशील कुमार, मन्जुलता–भारत में बालश्रमः समस्याएँ एवं समाधान, राहुल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ, 2013, पृ0–93।

[iii] भंडारी जवंतीलाल, चाइल्ड लेबर, चैलेन्ज अहेड–योजना, वॉल्यूम 44, नं0 9, 2000, पृ0–17।

[iv] सुमन, चंद्रा, प्रॉब्लम्स एण्ड इशुज ऑफ चाइल्ड लेबर, सोशल एक्शन, वॉल्यूम 48, नं0 1, 1998, पृ0–32।

[v] आहूजा, राम : सामाजिक समस्याए, 2000 रावत पब्लिकेशन्स जयपुर पृ0 सं0– 230।

[vi] मानवाधिकार नई दिशांए (2008), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक–5, 2008।

[vii] भारतीय संविधान अनुच्छेद 21।